राजस्थान सरकार

आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(148)आईडब्ल्यूएमपी / आजभूस / 2016 / 13756-841 दिनांक :30-11-16

समस्त अधीक्षण अभियन्ता एवं
परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद

विषय :– मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत द्वितीय चरण में स्वीकृत आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में राशि उपलब्धता के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्तालय के आदेश क्रमांक क्रमांक एफ. 18(148)आईडब्ल्यूएमपी / आजभूस / 2016 / 10489–10533 दिनांक 24.08.2016 के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण में चयनित परियोजनाओं में कॉमन गाईडलाइन के प्रावधानों के अन्तर्गत ही 56 प्रतिशत तक (50.4 प्रतिशत विकास मद एवं फ्लेक्सी फण्ड को सम्मिलित करते हुए) विकास मद हेतु कार्य डीपीआर में प्रस्तावित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

भारत सरकार को पिछले 2 वर्षो से प्रस्तुत कार्य योजना के विरूद्ध पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत द्वितीय चरण में चयनित परियोजनाओं में संभावित राशि की उपलब्धता के आधार पर 45 प्रतिशत तक (विकास मद एवं फ्लेक्सी फण्ड को सम्मिलित करते हुए) विकास मद अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित किये जावें।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत चयनित परियोजनाओं हेतु क्षेत्र में चल रही अन्य विभागों यथा महात्मा गांधी नरेगा, पंचायतीराज विभाग, कृषि विभाग आदि की योजनाओं से अभिसरण कर पूर्ण जलग्रहण क्षेत्र को उपचारित एवं उत्पादन गतिविधि, जीविकोपार्जन गतिविधि को लाईन विभागों की योजनाओं से अभिसरण कर पूर्ण करने की कार्यवाही करे।

(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

क्रमांक : एफ.18(148)आईडब्ल्यूएमपी / आजभूस / 2016 / 13756-841 दिनांक : 30-11-16

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।

4. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), आयुक्तालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
9. समस्त उप निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
10. ए.सी.पी., आयुक्तालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक
(IWMP)